



नगर निगम ग्रेटर जयपुर

(पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर)

भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन प्रपत्र (आवेदक द्वारा भरा जावे)

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
नगर निगम ग्रेटर जयपुर
जयपुर

मैं/हम द्वारा नीचे दिये भूखण्ड पर भवन निर्माण स्वीकृति हेतु आवेदन कर रहा हूँ।

प्रार्थी का नाम :

भू-खण्ड संख्या एवं योजना का नाम :

जोन का नाम : वार्ड नं.

भूखण्ड का क्षेत्रफल : वर्ग गज वर्ग मीटर

भवन का प्रयोजन : आवासीय/वाणिज्यिक/संस्थागत/.....

प्राथमिक चैक लिस्ट

आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किये जावे।

	संलग्न कर दिये हैं	हैं	नहीं
1. स्वामित्व के संबंध में आवश्यक दस्तावेज जैसे- नाम हस्तांतरण पत्र पट्टा, सेल डीड की प्रमाणित प्रति (पूरी चैन प्रस्तुत करें) (यदि भूखण्ड का नाम हस्तांतरण वांछित है तो पहले उक्त कार्यवाही पूर्ण कराने के पश्चात् ही भवन मानचित्र की पत्रावली प्रस्तुत करें)		हैं	नहीं
2. भूखण्ड आवंटन/नीलामी के समय जारी किया गया साईट प्लान/यदि भूखण्ड नीलामी का है तो, नीलामी की शर्तें आदि		हैं	नहीं
3. भूखण्ड का स्वीकृत उपविभाजन/पुनर्गठन के नक्शे एवं स्वीकृति पत्र की प्रमाणित छाया प्रति। (यदि भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन वांछित है तो पहले उक्त कार्यवाही पूर्ण कराने के पश्चात् ही भवन मानचित्र की पत्रावली प्रस्तुत करें।)		हैं	नहीं
4. यदि संबंधित भूखण्ड के भवन मानचित्र पूर्व में किसी स्थानीय निकाय द्वारा अनुमोदित हैं तो अनुमोदित प्लान की छाया प्रति एवं स्वीकृति पत्र		हैं	नहीं
5. भवन मानचित्र जो अब स्वीकृत कराये जाने है, उनके मानचित्र की 2 प्रतियां जिस पर रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट एवं भू-स्वामी के हस्ताक्षर हो एवं भवन मानचित्र की सी.डी. (Soft Copy) (भवन मानचित्र समिति में स्वीकृत होने के पश्चात् अमोनिया प्रिन्ट की चार प्रतियां कपडा चढा कर प्रस्तुत करें।) (आर्किटेक्ट के हस्ताक्षर के नीचे उनके रजिस्ट्रेशन नम्बर व उनके कार्यालय का पूरा पता मय दूरभाष नम्बर आवश्यक रूप से अंकित करें।) भवन मानचित्रों में निम्न भवन विनियमानुसार निर्धारित स्केल व अन्य पैरामीटर अनुसार आवश्यक रूप से दर्शाये :-		हैं	नहीं

1. साईट प्लान (1 हेक्टेयर क्षेत्रफल तक के लिये 1:500 से कम तथा 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 1:1000 से कम का स्केल)
2. सभी मंजिलों के प्लान/चारों तरफ के एलिवेशन व 2 सैक्शन (कम से कम एक सैक्शन सीढी से)
3. अग्नि शमन प्रावधान मानचित्र (1:100)
4. बहुमंजिला भवन में भवन विनियम 14.7 अनुसार समस्त अतिरिक्त सूचनायें दर्शाते हुए मानचित्र। (1:100)
5. गुगल मैप पर विषयान्तर्गत भूखण्ड की स्थिति दर्शाते हुए मानचित्र की प्रति।
6. लोकेशन प्लान की प्रति।

6. संलग्न शपथ-पत्र नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर पूर्ण कर संलग्न करें।

7. तकनीकीविद् का शपथ-पत्र।

8. यदि पॉवर ऑफ अटोर्नी है तो पॉवर ऑफ अटोर्नी संलग्न करें (पी. ओ. ए. रजिस्टर्ड होना आवश्यक है)

9. यदि प्रस्तावित भवन में तहखाना पडौसी के भूखण्ड की सीमा के 2.00 मी. की दूरी से कम पर बनाया जाना प्रस्तावित है तो नगर निगम ग्रेटर जयपुर के हित में भवन विनियम के प्रावधान अनुसार इन्डेमिनिटी बॉण्ड।

10. यदि भूखण्ड का भू-उपयोग परिवर्तन हुआ है तो भू-उपयोग परिवर्तन के आदेश तथा भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा की रसीद आदि की प्रमाणित छाया प्रतियां (यदि भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही वांछित है तो भू-उपयोग परिवर्तन करवाने के पश्चात् ही भवन मानचित्र अनुमोदित की पत्रावली प्रस्तुत करें)

11. गृहकर वर्ष 2007 तक जमा की रसीद, चालू वित्तिय वर्ष के नगरीय विकास कर के शुल्क की रसीद एवं लीज की रसीद।

12. बहुमंजिला (15.00 मी. से अधिक) भवनों के लिये भवन विनियम 2010 की धारा 14.7 (ठ) की अनुपालना में भूकम्परोधी प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड के पार्ट vi के प्रावधानों के अनुरूप प्रार्थी एवं पंजीकृत स्ट्रक्चर इंजीनियर को घोषण-पत्र तथा संरचनात्मक सुरक्षा हेतु पंजीकृत इंजीनियर का प्रमाण-पत्र।

13. प्रश्नगत भूखण्ड के तीन एंगल से दिनांक सहित फोटोग्राफ।

14. प्रार्थी के पहचान पत्र जिसमें प्रार्थी के फोटो एवं हस्ताक्षर हो कि प्रमाणित प्रति।

15. भवन जॉच शुल्क (भूखण्ड के क्षेत्रफल पर)

- i. आवासीय/संस्थागत हेतु 10/- रु. प्रति व.मी.
- ii. व्यावसायिक हेतु 30/- रु. प्रति व. मी.
- iii. पत्रावली शुल्क आवासीय/संस्थागत प्रयोजनार्थ 100/- रु.
- iv. पत्रावली शुल्क व्यावसायिक प्रयोजनार्थ 300/- रु.

हस्ताक्षर
आवेदक का नाम
पता

दूरभाष नं.

ई-मेल आई डी